कार्यालय कलेक्टर(पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण) जिला इन्दौर

(कक्ष 303 सेटेलाईट भवन कलेक्ट्रेट इन्दौर)

Email :- bcwelfareindore@gmail.com Ph.No. 0731-2369050

क्रं./छात्रावास/प्रवेश/2019-20/130। इन्दौर, दिनांक 10/07/2019

प्रति,

प्राचार्य/निर्देशक/ अधिष्ठाता/ कुलपति
समस्त शासकीय/ अशासकीय,
महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय
जिला इन्दौर

विषय :- पिछड़ा वर्ग 500 पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावास, में छात्राओं के प्रवेश के संबंध में।

--0--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि म.प्र. शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग की छात्राओं हेतु इन्दौर जिले में पिछड़ा वर्ग 500 पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावास, ग्राम असरावद खुर्द, खंडवा रोड इन्दौर में नवनिर्मित छात्रावास में छात्राओं हेतु प्रवेश की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जा रही है।

अत:निम्नानुसार निर्धारित पात्रतानुसार पात्र एवं प्रवेश हेतु इच्छुक छात्राओं के आवेदन विधिवत् भरवाकर आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करवाना सुनिश्चित करें। छात्रावास मे प्रवेश के संबंध मे निम्नानुसार मापदंड निर्धारित है :-

01. छात्रा संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत् होना चाहिये।
02. छात्रा के अभिभावक की वार्षिक आय 3.00 लाख से अधिक न हो।
03. **छात्रावास में निवास सुविधा नि:शुल्क रहेगी।**
04. मेस संचालन होने की स्थिति में छात्रा को भोजन का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
05. छात्रावास में प्रवेश लेने पर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति छात्रावास की दर से स्वीकृत होगी।
06. अधिक जानकारी हेतु छात्राओं को कार्यालयीन समय में **कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 303 सेटेलाईट भवन, कलेक्ट्रेट इन्दौर में** संपर्क करने हेतु निर्देशित करे।

उपरोक्त सूचना को संस्था के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें एवं यथासंभव संस्था की वेबसाईट में अंकित करें एवं योजना का प्रचार प्रसार करते हुए कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न :- आवेदन फार्म की प्रति।

सहायक संचालक
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
जिला इन्दौर

पृ. क्रं./छात्रावास/प्रवेश/2019-20/1302 इन्दौर, दिनांक 10/07/2019

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. कलेक्टर , जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर की ओर भेजकर निवेदन है, कि आपके स्तर से संस्थाओं को छात्रावास में प्रवेश संबंधी आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
04. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, जिला इन्दौर की ओर भेजकर निवेदन है, कि उपरोक्त सूचना स्थानिय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

सहायक संचालक
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
जिला इन्दौर

पिछड़ावर्ग हेतु

छात्रावास आश्रम में प्रवेश पाने के लिये आवेदन पत्र
नवीन/नवीनीकरण
आवेदन पत्र छात्रावास में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी द्वारा भरा जावें।

सेवा में,

अध्यक्ष,
छात्रावास समिति,

पिछड़ावर्ग विभाग छात्रावास.. तहसील........................जिला...........................(म.प्र.)

1. विद्यार्थी का पूरा नाम ....

पिता का नाम ....

2. जन्म तिथि ....

3. धर्म .... पिछड़ावर्ग जाति..............................जाति ....

4. छात्रावास का नाम जिससे प्रवेश मांगा गया है पूरा पता ....

....

5. क्या आवेदक छात्रावास में रह चुका है।

विवरण .... वर्ष .... छात्रावास का नाम ....

6. (क) महाविद्यालय संस्था का नाम जिसमें आवेदक भर्ती होना चाहता है, या चालू वर्ष में शिक्षा प्राप्त कर रहा है।

(ख) वर्ष .... कक्षा ....

(ग) परीक्षा फल ....

7. पालक का नाम .... मासिक आय...

8. आवेदक का निवास स्थान ....

निवास स्थान की छात्रावास से जिसमें प्रवेश के लिए आवेदन किया गया है, दूरी :.....................

9. आवेदक के निवास से 7 किलो मीटर के आसपास कोई ऐसी संस्था है जहां कि वह पढ़ सकता है।

10. घोषणा : (क) मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी हुई जानकारी सही है।

(ख) मैं छात्रावास के सभी नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ।

पालक के हस्ताक्षर | अथवा बायें हाथ का अंगूठा

आवेदक से रिश्ता | आवेदक हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :

(क) आवेदक द्वारा पत्र में जन्म तिथि, निवास स्थान, पिछड़ावर्ग, जाति और परीक्षाफल के संबंध में दिये गये विवरण महाविद्यालय के रजिस्टरों के अनुसार सही हैं।

(ख) आवेदक द्वारा दर्शाई गई पिछड़ावर्ग महाविद्यालय के अभिलेख रेकार्ड के अनुसार सही हैं।

(ग) जहां तक मुझे जानकारी हैं आवेदक का आचरण अच्छा हैं।

स्थान .... प्राचार्य / प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर

तारीख ....

छात्रावास अधीक्षक होस्टल सुप्रीटेन्डेन्ट द्वारा दी गई जानकारी :

(क) आवेदक पत्र प्राप्त होने की तारीख।

(ख) छात्रावास समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख।

(ग) छात्रावास समिति का मत रिमार्क।

(घ) छात्रावास अधीक्षक का मत रिमार्क।

स्थान .... छात्रावास अधीक्षक के हस्ताक्षर

तारीख ....

टीप :

(1) आवेदन पत्र 10 जून या उसके पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इसके बाद आवेदन पत्र स्वीकार करने का अधिकार छात्रावास समिति का है।

(2) पिछड़ावर्ग के विद्यार्थी का खासकर अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।